राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी–स्कीम, जयपुर।
TELEX : 0141-2993119 EMAIL ID : MSRGY@RAJASTHAN.GOV.IN WEBSITE : WWW.MSRGY.RAJASTHAN.GOV.IN

क्रमांक:एफ56(क)()CE/DLB/MSRGY/2025/ 1134-1151 दिनांक: 12/02/2025

जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक,
मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना (MSRGY),
जिला–जोधपुर, जयपुर, जालोर, झुंझुनू, भीलवाड़ा, पाली, सीकर, ब्यावर, टोंक, नागौर, कोटपूतली–बहरोड़, बालोतरा, अजमेर, डीग, बीकानेर, श्रीगंगानगर, बाड़मेर एवं सवाईमाधोपुर।

विषयः–वर्ष 2024–25 में नवगठित 27 नगरीय निकायों में मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत कार्यों के क्रियान्वयन बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभागीय अधिसूचना (संलग्न) के अनुसार वर्ष 2024–25 में ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में परिवर्तित 27 नगरीय निकायों (नवगठित) में जरूरतमंद परिवारों को मांग अनुसार रोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के कार्य प्रारम्भ किये जाने है।

नियमित कार्मिकों के अभाव में उक्त नवगठित नगर पालिकाओं में योजना का क्रियान्वयन समीपवर्ती प्रभारी नगरीय निकाय के माध्यम से करवाया जाना है। कार्य संपादन हेतु निम्नलिखित सूची अनुसार निकटतम नगरीय निकायों को प्रभारी नगरीय निकाय निर्धारित किया जाता है:–

क्र. सं.	संभाग	जिला	चतुर्थ श्रेणी नवगठित नगर पालिका का नाम	MSRGY कार्यों के सम्पादन हेतु निर्धारित प्रभारी नगरीय निकाय
1	जोधपुर	जोधपुर	तिवंरी	नगर निगम, जोधपुर (उत्तर)
2	जोधपुर	जोधपुर	कुड़ी भगतासनी	नगर निगम, जोधपुर (दक्षिण)
3	जयपुर	जयपुर	जमवारामगढ़	नगर निगम, जयपुर (हैरिटेज)
4	जोधपुर	जालौर	सायला	नगर परिषद्, जालौर
5	जयपुर	झुंझुनू	डुण्डलोद	नगर पालिका, मुकुन्दगढ़
6	जयपुर	झुंझुनू	जाखल	नगर पालिका, नवलगढ़
7	जयपुर	झुंझुनू	सुलताना	नगर परिषद्, झुंझुनू
8	अजमेर	भीलवाड़ा	बिजौलिया	नगर निगम, भीलवाड़ा
9	जोधपुर	पाली	सोजतरोड़	नगर पालिका, सोजत सिटी
10	जयपुर	सीकर	धोद	नगर परिषद्, सीकर
11	अजमेर	ब्यावर	मसूदा	नगर परिषद्, ब्यावर
12	अजमेर	टोंक	पीपलू	नगर परिषद्, टोंक
13	अजमेर	टोंक	लाम्बाहरिसिंह	नगर पालिका, उनियारा
14	अजमेर	टोंक	डिग्गी	नगर पालिका, मालपुरा
15	अजमेर	नागौर	मेड़तारोड़	नगर पालिका, कुचेरा
16	जयपुर	कोटपूतली–बहरोड़	नारायणपुर	नगर परिषद्, कोटपूतली
17	जोधपुर	बालोतरा	सिणधरी	नगर परिषद्, बालोतरा
18	अजमेर	अजमेर	टांटोटी	नगर परिषद्, केकड़ी
19	भरतपुर	डीग	पहाड़ी	नगर परिषद्, डीग
20	बीकानेर	बीकानेर	नापासर	नगर निगम, बीकानेर
21	बीकानेर	श्रीगंगानगर	घड़साना	नगर परिषद्, अनूपगढ़

क्र. सं.	संभाग	जिला	चतुर्थ श्रेणी नवगठित नगर पालिका का नाम	MSRGY कार्यों के सम्पादन हेतु निर्धारित प्रभारी नगरीय निकाय
22	जोधपुर	बाड़मेर	चौहटन	नगर परिषद्, बाड़मेर
23	जोधपुर	बाड़मेर	धोरीमन्ना	नगर परिषद्, बाड़मेर
24	जोधपुर	बाड़मेर	गुड़ामालानी	नगर परिषद्, बाड़मेर
25	भरतपुर	सवाईमाधोपुर	खण्डार	नगर परिषद्, सवाईमाधोपुर
26	बीकानेर	बीकानेर	लूनकरनसर	नगर निगम, बीकानेर
27	जयपुर	कोटपूतली–बहरोड़	मांढण	नगर परिषद्, बहरोड़

उक्तानुसार प्रभारी नगरीय निकाय द्वारा आवंटित नगर पालिका में MSRGY योजनान्तर्गत जारी दिशा–निर्देशों अनुसार कार्यों का चयन कर, कार्यों का तकमीना तैयार कर, सक्षम स्तर से तकनीकी जांच करवाकर, कार्य योजना तैयार कर जिले की नोडल निकाय के माध्यम से जिला स्तरीय समिति से अनुमोदित करवाया जाना है। तत्पश्चात् कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करवाकर विभागीय SoP के अनुसार सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति उपरांत वांछित दस्तावेजों के साथ मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के पोर्टल पर सूचना अपलोड कर कार्य की मस्टररोल जारी कर नवगठित नगरीय निकाय में योजना के क्रियान्वयन कि कार्यवाही की जानी है।

प्रभारी निकाय के नियमित प्रशासनिक, तकनीकी एवं लेखा अधिकारियों द्वारा नियमानुसार योजनान्तर्गत आवश्यक स्वीकृतियां जारी कर कार्मिकों के माध्यम से नवगठित निकायों हेतु कार्यों का चयन कर, कार्यों का तकमीना तैयार कर, सक्षम स्तर से तकनीकी जांच करवाकर, कार्य योजना तैयार करावें एवं कार्यों के अनुमोदन पश्चात् व प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति जारी होने के उपरान्त मस्टररोल जारी करवाकर कार्यों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करावें तथा प्रतिदिन श्रमिकों की उपस्थिति पोर्टल पर इन्द्राज करवाकर पखवाड़ा समाप्ति के 15 दिवस में मस्टररोल/माप पुस्तिका पूर्ण एवं सत्यापित कर पोर्टल पर ऑनलाईन प्रविष्टि के माध्यम से बिल भुगतान की कार्यवाही करवाते हुए, आवंटित नवगठित निकायों में कार्यों को संपादित करवाया जाना सुनिश्चित करावें। उक्त प्रयोजनार्थ आपके जिले की निकायों में योजनान्तर्गत कार्यरत संविदा कार्मिकों यथा रोजगार सहायक, कनिष्ठ तकनीकी सहायक, लेखा सहायक एवं एम.आई.एस. को नवगठित नगरीय निकायों में अतिरिक्त रूप से उपयोग में लिया जा सकता है। योजनान्तर्गत वर्ष 2023–24 में गठित 42 नगरीय निकायों एवं वर्तमान वर्ष 2024–25 में गठित उक्त नवीन 27 नगरीय निकायो के लिये कोई भी संविदा कार्मिकों के पद स्वीकृत नहीं किये गये है। योजनान्तर्गत इन नगरीय निकायों में किसी भी प्रकार की कोई नवीन संविदा नियुक्तियां पूर्व में जारी विज्ञप्तियों से नहीं की जावे।

प्रभारी नगरीय निकाय द्वारा आवंटित उक्त नवगठित नगर पालिकाओं में योजना क्रियान्वयन से संबंधित समस्त प्रस्ताव, स्वीकृतियां, कार्ययोजना, तकमीने, फोटोग्राफ, मस्टररोल, बिल एवं अन्य सम्बन्धित दस्तावेज, आंकड़े एवं लेखा विवरण का पृथक् से संधारण करवाया जाना सुनिश्चित करावें, जिससे इस सम्बन्ध में समय–समय पर विभिन्न स्तर पर चाही गई आवश्यक सूचना उपलब्ध करवाई जा सके।

अतः उक्तानुसार आपके जिले की नवगठित नगर पालिकाओं में प्रभारी नगरीय निकायों के माध्यम से मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के कार्य क्रियान्वित करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

यह वित्त विभाग की आई.डी. सं. 172500036 दिनांक 28.01.2025 द्वारा अनुमोदित है।

(इन्द्रजीत सिंह)
निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव

क्रमांकःएफ56(क)()CE/DLB/MSRGY/2025/ 1152-1227 दिनांकः 12/02/2025

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त/आयोजना विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, सूचना प्रोद्यौगिकी और संचार विभाग (DoIT&C), राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. सम्भागीय आयुक्त, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, जयपुर एवं जोधपुर।

9. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–3) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. निजी सचिव, वित्तीय सलाहकार/परियोजना निदेशक (MSRGY), निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. सचिव भर्ती आयोग निदेशालय, निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. संयुक्त निदेशक (जन सम्पर्क), निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
14. संयुक्त निदेशक (आई.टी.) एवं सिस्टम एनालिस्ट, निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
15. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, जयपुर एवं जोधपुर को निर्देशित किया जाता है कि जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक (MSRGY), जिला स्तरीय नोडल नगरीय निकाय एवं कार्य संपादन हेतु बनायी गई नोडल नगरीय निकाय के मध्य समन्वयक कर नवीन नगरीय निकाय में कार्य प्रारंभ करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
16. संबंधित आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, अधिशाषी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता एवं वित्तीय सलाहकार/वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी/लेखाकार, जिला स्तरीय नगरीय निकाय को निर्देशित किया जाता है कि योजना के पूर्व दिशा–निर्देशानुसार कार्य संपादन हेतु बनायी गई नोडल नगरीय निकाय से कार्य प्रारंभ करवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही कराते हुए जिला परियोजना समन्वयक से कार्यों की स्वीकृति कराकर पोर्टल पर कार्य अपलोड करवाकर कार्य प्रारंभ करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
17. प्रभारी नगरीय निकायों के आयुक्त/उपायुक्त/अधिशाषी अधिकारी, अधिशाषी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता तथा वित्तीय सलाहकार/वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी/लेखाकार को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित नवगठित नगर पालिका में कार्य प्रारंभ करने हेतु कार्यवाही प्रारंभ कर जिला स्तरीय नोडल नगरीय निकाय के माध्यम से जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक को प्रस्तुत कर कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त कर उपरोक्तानुसार कार्यवाही कर कार्य प्रारंभ करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
18. स्टेट एम. आई. एस मैनेजर (MSRGY) को पोर्टल पर अपलोड किये जाने बाबत्।
19. सुरक्षित पत्रावली।

(अरूण व्यास)
परियोजना निदेशक (MSRGY)